

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

—:: अधिसूचना ::—

क./2650 /भू-अर्जन / 202210050400020 अ 82 / 2026

कोरबा, दिनांक 10/08/26

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत चाम्पा शाखा नहर के कचोरा माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1. जिला - कोरबा
2. तहसील - बरपाली
3. ग्राम/नगर - चिचोली
4. भूमि का क्षेत्रफल - 0.105 हे.

ख.नं.	रकबा (हे.में)
1373	0.016
1402	0.040
1436/1	0.049
योग	0.105

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


**अनुविभागीय अधिकारी (स.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा**


(कुनाल दुदा)
**कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**